दिनांक 30.08.2022 जिला उद्योग मित्र, विशेष एकीकृत औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशोधित –2011) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथा संशोधित 2016, 2018, 2019 तथा 2020) के अन्तर्गत गठित उपसमिति एवं एकल खिड़की सुगमता अनुज्ञापन अधिनियम–2015 के अन्तर्गत प्राधिकृत समिति की ऑनलाईन बैठक का कार्यवृत्त –

उपस्थिति–

1 सर्व श्री डा0 विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2 श्रीमती ईला गिरी, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3 श्री आर0सी0 उनियाल, प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार।
4 श्री अनिल कटारिया, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
5 श्री प्रकाश चन्द्र खत्री, जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6 श्री धनन्जय सिंह लिंगवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7 श्री अर्जुन सिंह राणा, उपायुक्त, राज्य कर विभाग, कोटद्वार।
8 श्री आलोक शाह, कोषाधिकारी, पौड़ी।
9 श्री पंकज श्रीवास्तव, ए0आर0टी0ओ0, कोटद्वार।
10 श्री कमल सिंह, एस0डी0ओ0, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।
11 श्री दशरथ सिंह चौधरी, ई0ई0 विद्युत वितरण खण्ड, पौड़ी।
12 डा0 आर0के0चर्तुवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13 श्री सन्नी चौहान, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल कोटद्वार।
14 श्री सिरताज सिंह रांगड, सहायक श्रमायुक्त, कोटद्वार।
15 श्रीमती राज भारती कृषाली, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
16 श्रीमती राजेश्वरी विशकर्मा, परियोजना अधिकारी, उरेडा, पौड़ी गढ़वाल।
17 श्रीमती सीमा पाण्डेय, सिटी मिशन मैनेजर, नगर पालिका पौड़ी।
18 श्री आशु चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी, ग्रुप–1, पौड़ी।
19 श्री अमित पंत, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान विभाग पौड़ी।
20 श्री अनुसुया गौड, प्रतिनिधि अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार।
21 श्री प्रशान्त राय, प्रतिनिधि सेन्टर ग्राउण्ड वाटर एथोरिटी, कॉवली रोड, देहरादून।
22 श्री सुनील गुप्ता, अध्यक्ष सिडकुल इण्डस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एशोसिएशन, ग्रोथ सेन्टर, सिगड्डी कोटद्वार।
23 श्री क्षितिज मटूरा, सहायक अभियन्ता, सिडकुल, कोटद्वार।
24 श्री कौशिक दास, प्रतिनिधि, वाप्कोस लि0 कौलागढ़ रोड, देहरादून।
25 श्री माधोसिह रावत, सहायक प्रबन्धक उद्योग, पौड़ी गढवाल।

कार्यवृत्त –

बिन्दु संख्या 1– गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की पुष्टि –उद्योग मित्र की गत बैठक दिनांक 05.05.2022 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की समिति द्वारा निम्नवत पुष्टि की गयी–

बिन्दु संख्या 1(a) जिलाधिकारी महोदय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिगड्डी की जगह–जगह टूटी बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर श्री कौशिक दास प्रतिनिधि कार्यदायी संस्था वाप्कोस लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि जी0एस0टी0 की दरों में वृद्वि होने के कारण संस्था द्वारा पुनः निर्धारित दरों पर कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे सिडकुल मुख्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तथा उक्त कार्य को माह

अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–क्षेत्रीय प्रबन्घक, सिडकुल कोटद्वार, वाप्कोस लि0, कौलागढ़ रोड, देहरादून)

1(b) जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल द्वारा पिछली बैठक में अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार को औद्योगिक क्षेत्र कोटद्वार में स्थिति समस्त औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, इस सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रोथ सेन्टर सिगड़्डी, की 57 में से 37, जशोधरपुर की 23 मे से 08 तथा बलभद्रपुर की 25 मे से 04 इकाइयों का निरीक्षण कर एन0ओ0सी0 दी गयी है तथा शेष इकाईयों के मानक पूर्ण कराये जा रहे है तथा मानक पूर्ण कराये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मानक पूर्ण कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही गयी, जिस पर अग्निशम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सम्बन्धित इकाईयों को नोटिस जारी किये गये है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इकाईयों को दिये गये नोटिसों की प्रति महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, तथा अनिवार्य रूप से शेष समस्त इकाईयों का निरीक्षण करते हुए मानक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–अग्निशम अधिकारी कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल)

1(c) जिलाधिकारी महोदय द्वारा विगत बैठक में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न उपादानों के भुगतान इकाईयों के किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार से चाही गयी, जिस महाप्रबन्धक, द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त दावों का भुगतान इकाईयों को किया जा चुका है, किन्तु एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत स्वीकृत दावों के भुगतान हेतु उद्योग निदेशालय, देहरादून से बजट की मांग की गयी है, बजट प्राप्त होते ही इकाईयों को भुगतान कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बजट की मांग हेतु पुनः पत्र प्रेषित करने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार)

1(d) जिलाधिकारी महोदय द्वारा विगत बैठक में एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत मै0 हिम्मत सिंह रावत के पिरूल प्लांट के राज्य पूँजी उपादान के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार से चाही गयी। महाप्रबन्धक द्वारा जिलाधिकारी महोदय, को अवगत कराया इकाई स्वामी श्री हिम्मत सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक शून्य, के द्वारा अगवत कराया गया है कि **"दिनांक 20.05.22 को विद्युत की विद्युत ओवर बोल्टेज आने से वर्तमान में प्लांट की मशीनरी के पैनल एवं जनरेटर कार्य नहीं कर रहे है, तब से लगातार प्लांट बन्द चल रहा है"** इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1556, दिनांक 28.07.2022 पत्र प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना अधिकारी, उरेडा से भी उक्त इकाई की अद्यतन स्थिति पर जानकारी चाही गयी। परियोजना अधिकारी, उरेडा द्वारा अवगत कराया कि र्वतमान में प्लांट कार्य नही कर रहा है। इसी सम्बन्ध में ई0ई0, यू0पी0सी0एल0, पौड़ी द्वारा अगवत कराया कि उक्त प्लांट द्वारा अब तक 01 या 02 प्रतिशत ही पावर जनरेशन हो पाया है, ऑपरेटिंग पावर ही जनरेशन नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया कि जनपद में पिरूल से विद्युत उत्पादन करने वाली एक मात्र इकाई है, जिसके संचालन में आ रही तकनीकी समस्याओं के सम्बन्ध में प्लांट स्थापित करने वाली फर्म से सम्पर्क करते हुए उरेडा तथा विद्युत विभाग को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– पी0ओ0 उरेडा तथा ई0ई0 विद्युत वितवरण खण्ड, पौड़ी)

बिन्दु संख्या 2(a) –उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम (सिंगल विन्डो) व्यवस्था के अर्न्तगत स्वीकृत प्रस्तावों पर अनुमोदन – दिनांक 13.05.2022 से 16.08.2022 तक सिंगल विन्डो के अन्तर्गत उद्यम स्थापनार्थ